न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट,नागौर

बईजलास –पीयुष समारिया, जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

भरण पोषण अपील संख्या–24 / 2022
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नंम्बर–2022 / 36

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोंडेन्ट
1. नदीम पुत्र निजामुदीन 2. नईम पुत्र निजामुदीन जातियान मुसलमान सिपाही निवासी मेड़तासिटी तहसील मेड़ता जिला नागौर		निजामूदीन पुत्र श्री अहदम खां, जाति मुसलमान सिपाही (शेरानी) निवासी कादरी कॉलोनी, मेड़तासिटी तहसील मेड़ता जिला नागौर

आदेश दिनांक 02/05/2022

1–अपीलान्टस् ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट मेड़ता द्वारा माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत दर्ज प्रकरण संख्या–02 / 2020 निजामुदीन बनाम नदीम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 21.12.2021 से व्यथित होकर दिनांक 25.01.2022 को यह अपील पेश की है। अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। पत्रावली बहस अंतिम हेतु दिनांक 20.04.2022 को नियत थी। दिनांक 20.04.2022 को रेस्पोडेन्ट ने उपस्थित होकर एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में अपीलान्ट को अपील करने का अधिकार नहीं है, इसलिए रस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई कर उचित आदेश पारित करने का निवेदन किया।

2–रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 20.04.2022 पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने उक्त अपील धारा 16 माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत अपील पेश की है, जबकि अपीलान्ट न तो वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आता है न ही उक्त प्रावधान के तहत अपीलान्ट को ऐसी अपील पेश करने का अधिकार ही है। अपीलान्ट ने उक्त प्रावधान के तहत अपील गलत व विधि विरूद्ध पेश की है, जो पोषणीय नहीं है। उक्त प्रावधान के तहत केवल माता–पिता अथवा वरिष्ठ नागरिक ही अपील पेश करने के लिए योग्य / पात्र है। संतान को उक्त प्रावधान के तहत अपील पेश करने का कोई अधिकार व प्रावधान नहीं है तथा विधि द्वारा अपील वर्जित होने एवं पोषणीय नहीं होने का कथन करते हुए निरस्त करने का निवेदन किया।

3–अपीलान्टस् द्वारा उक्त आवेदन में किये गये कथनों के खण्डन में कोई कथन नहीं किया। अपीलान्टस् द्वारा प्रस्तुत अपील की मैरिट पर गुणावगुण पर सुनवाई कर निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

4–उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5 के तहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट मेड़ता (भरण पोषण अधिकरण) के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वंय के भरण पोषण हेतु 10,000–10,000 / –रूपये कुल 20,000 / –रूपये अपीलान्टस् से दिलाने का निवेदन किया। उक्त संबंध उपखण्ड मजिस्ट्रेट मेड़ता ने कार्यवाही कर अपने निर्णय जैर अपील दिनांक 21.12.2021 से रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया और मुख्यतः अपीलान्ट संख्या 1 व 2 को पृथक–पृथक रूँप से 3000–3000 / –रूपये प्रति माह रेस्पोडेन्ट को संदाय करने हेतु का आदेश दिया गया। उक्त निर्णय जैर अपील के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.08 16:29:39 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

एवं कल्याण अधिनियम कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के तहत हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। उक्त अधिनियम 2007 की धारा 16 के प्रावधान इस प्रकार है– ***16. अपीलें–***

(1) अधिकरण के किसी आदेश द्वारा व्यथित, यथास्थिति, कोई वरिष्ठ नागरिक या कोई माता–पिता आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा:

परन्तु अपील पर, वह बालक या रिश्तेदार, जिससे, ऐसे भरण–पोषण के आदेश के निबन्धनों के अनुसार किसी रकम का संदाय किये जाने की अपेक्षा की गयी है, ऐसे माता–पिता को इस प्रकार आदेशित रकम का संदाय अपील अधिकरण द्वारा निर्देशित रीति से करता रहेगा:

परन्तु यह और कि अपील अधिकरण, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारण से निवारित हुआ था, साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा।

(2) अपील अधिकरण, अपील की प्राप्ति पर, प्रत्यर्थी पर सूचना की तामील करवायेगा।

(3) अपील अधिकरण उस अधिकरण से, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की जाती है, कार्यवाहियों का अभिलेख मंगा सकेगा।

(4) अपील अधिकरण, अपील और मंगाये गये अभिलेख को परीक्षा करने के पश्चात या तो अपील को मंजूर कर सकेगा या खारिज कर सकेगा।

(5) अपील अधिकरण, अधिकरण के आदेश के विरुद्ध फाइल की गयी अपील का न्याय निर्णयन और विनिश्चय करेग़ा तथा अपील अधिकरण का आदेश अन्तिम होगा :परन्तु कोई अपील तब तक खारिज नहीं की जायेगी, जब तक कि दोनों पक्षकारों को वैयक्तिक रूप से या सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुने जाने का अवसर न दे दिया गया हो।

(6) अपील अधिकरण अपना आदेश अपील की प्राप्ति के एक मास के भीतर लिखित में सुनाने का प्रयास करेगा।

(7) उपधारा (5) के अधीन किये गये प्रत्येक आदेश की एक–एक प्रति दोनों पक्षकारोंको निःशुल्क भेजी जायेगी।

4(1)– इस प्रकार उक्त अधिनियम 2007 की धारा 16 के अनुसार वरिष्ठ नागरिक या कोई माता–पिता द्वारा ही उपखण्ड मजिस्ट्रेट (अधिकरण) द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध जिला मजिस्ट्रेट (अपील अधिकरण) के समक्ष अपील करने का प्रावधान है। अधिकरण द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अन्य पक्ष को अपील अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान अधिनियम 2007 की धारा 16 में नहीं किया गया है। अपीलान्टस् भी द्वारा वरिष्ठ नागरिक या कोई माता–पिता के अतिरिक्त अन्य पक्ष द्वारा अधिकरण द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील अधिकरण को अपील प्रस्तुत कर सकने बाबत कोई प्रावधान स्पष्ट नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील विधि अनुसार पोषणीय नहीं होने से, अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील पर सुनवाई कर निर्णय पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है।

5–अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्टस् द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं हाने से खारिज की जाती है। हस्तगत प्रकरण में पारित निर्णय जैर अपील दिनांक 21.12.2021 के विरूद्ध रस्पोडेन्ट द्वारा भी अपीलान्टस् के विरूद्ध न्यायालय हाजा में भरण पोषण अपील संख्या–24/2022 प्रस्तुत की गई थी, जिसमें बाद सुनवाई पृथक से निर्णय पारित किया जा चुका है। इसलिए अब उपखण्ड मजिस्ट्रेट मेड़ता की हस्तगत प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली की कोई आवश्यकता नहीं होने से उपखण्ड मजिस्ट्रेट मेडता को उनकी मूल पत्रावली व आदेश की प्रति तथा उभयपक्ष के पक्षकारान को आदेश की प्रति भिजवाई जावे।

6–आदेश सुनाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.08 15:29:39 IST
Reason: SelfAttested

(पीयुष समारिया)
जिला मजिस्ट्रेट नागौर

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राज.)